

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 761 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 30-07-2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय बयेला नाड़ मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के संबन्ध में।(प्रस्ताव सं० 9364/2015)


सन्दर्भ आनलाइन आपत्ति दिनांक 14/07/2016

महोदय,



उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में ऑनलाइन द्वारा आपत्तियों में लौटाया गया था। जिसकी आख्या बिन्दुवार निम्नवत है।

1	The period for which forest land is proposed to be diverted is not mentioned in part A-1-x	Mentioned in para A-1-x
2	Village wise breakup of land not provided in para 2,3	Village wise breakup provided
3	Both the alternative start from the same point but they are started to start form different poits in the text.	Both the alignments/alternatives start from the same point with minor variations because there was no alternative and it is corrected in the statement.
4	Scanned copy of map of land proposed for CA usding GPS or total station is not proper.	Proper scanned copy of map os land proposed for CA using GPS is attached.
5	Copy of map is SOI toposheet indicating location of CA is not clear.	Clear SOI toposheet duly signed by forest and revenue officers is enclosed.
6	Owner wise details of nap land selected for muck dumping along with map and reclamation plan is not sumittrd.	Owner wise detail of nap land selected for dumping along with map and reclamation plan is attached
7	Working plan prescription for the area proposed for diversion and its disrance form boundary of forest not given.	The reserved forest is affected in this project. Distence from boundry is Zero. According to work plan twisted pinus (पेंचदार चीड़) under working circle (कार्य वृत्त)

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

जीयोक्रेन्स मैप — जनपद अल्मोड़ा में बयोला नाइ मोटर मार्ग का नव निर्माण



S.no.	Longitude	Latitude
1	79°24' 27.548" E	29°47' 56.099" N
2	79°24' 24.573" E	29°47' 55.066" N
3	79°24' 22.273" E	29°47' 51.094" N
4	79°24' 19.622" E	29°47' 46.382" N
5	79°24' 13.265" E	29°47' 45.632" N
6	79°24' 9.537" E	29°47' 49.601" N
7	79°24' 5.012" E	29°47' 48.232" N
8	79°23' 59.414" E	29°47' 46.594" N
9	79°23' 55.219" E	29°47' 49.608" N
10	79°23' 49.766" E	29°47' 50.451" N
11	79°23' 44.903" E	29°47' 46.299" N
12	79°23' 43.415" E	29°47' 42.316" N
13	79°23' 43.204" E	29°47' 36.811" N
14	79°23' 47.751" E	29°47' 32.252" N
15	79°23' 47.566" E	29°47' 26.216" N
16	79°23' 44.740" E	29°47' 23.278" N
17	79°23' 45.136" E	29°47' 30.060" N
18	79°23' 40.599" E	29°47' 33.691" N
19	79°23' 36.049" E	29°47' 34.710" N
20	79°23' 30.175" E	29°47' 34.506" N
21	79°23' 26.407" E	29°47' 38.691" N
22	79°23' 26.080" E	29°47' 45.139" N
23	79°23' 29.506" E	29°47' 50.866" N
24	79°23' 33.772" E	29°47' 56.271" N
25	79°23' 35.525" E	29°48' 2.711" N
26	79°23' 30.291" E	29°48' 0.036" N
27	79°23' 24.525" E	29°47' 58.051" N
28	79°23' 19.156" E	29°47' 56.349" N
29	79°23' 16.696" E	29°47' 51.010" N
30	79°23' 11.710" E	29°47' 54.096" N
31	79°23' 7.185" E	29°47' 58.675" N
32	79°23' 4.278" E	29°48' 4.739" N
33	79°23' 5.200" E	29°47' 59.071" N
34	79°23' 5.496" E	29°47' 53.451" N
35	79°23' 4.287" E	29°47' 48.679" N
36	79°23' 2.255" E	29°47' 43.939" N

Legend
 GPS Coordinates
 Proposed Road

श्रीमान् श्रीमान् III
 फकीर शर्मा, सी. ए. डि. डि. डि.
 ज्योतिष

Executive Engineer,
 Constt. Division, P.W.D.-I)
RANIKHET.

79°23'0"E 79°23'30"E 79°24'0"E 79°24'30"E 79°25'0"E 79°25'30"E 79°26'0"E

29°47'0"N 29°47'30"N 29°48'0"N

29°47'0"N 29°47'30"N 29°48'0"N

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679

Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1693/36सी.

दिनांक रानीखेत जुलाई 22, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में ताड़ीखेत-मंजूरखान मो0 रोड से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 देव सिंह कुवार्बी के ग्राम कमेछीना तक मो0 मार्ग का निर्माण मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या 16102/2015)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो/12-1 दिनांक 15.07.2016।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C(iv) Part I online, geo coordinates are shown at very few points. May provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all truning points. The soft copy of the geo referenced map, mentioned to have been sent by post in the reply, has not received in the Regional Officer.	Geo referenced digital map showing coordinates of regular interval at 200m including all turning point along the alignment of the road attached. (Annexture-I)
2.	The FRA certificate and the proceedings of the Sub Division Level Committee under FRA is without any date.	Dated proceeding of sub division level committee under FRA are attached. (Annexture-II)
3.	In the village wise breakup provided at B 2.3 Part I online only one village leti has been mentioned whereas proceedings of the meeting of Gram Sabha Papne Kothar village have been provided alongwith the FRA certificate. May explain this mismatch and provide proceedings of the meeting of Gram Sabha of the correct village name of which should also figure at B 2.3 Part I	Leti is a village under the gram sabha Papne kothar. Hence the proceeding of gram sabha level issued by gram sabha Papne kothar. Village Leti under gram sabha Papne kothar is mention in B 2.3 of Part-I.
4.	In the list of trees provided in the hard copy and in part I additional documents online the no. of trees is mentioned 53 whereas in Part II column 4 online the no of trees are mentioned 54	Total 53 trees will effect by this project as mention in Part-I. Part-II may be revised by DFO Office, Almora.


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

कार्य का नाम :- तादीखेत पीपली मंजूरखान रोड से स्वतन्त्रता संगम सेनानी के गांव कमेडिना तक नाहर मार्ग का निर्माण



Legend

— Main allingment



Handwritten signature
JE

Handwritten signature
सहायक अधीक्षक
प्रादेशीय अन्त, तादीखेत
रानीखेत

Handwritten signature
प्रविशारी प्रशियन्ता,
प्रादेशीय खण्ड, लो० नि० वि०
रानीखेत
Handwritten signature
जन सत्राधिकारी रानीखेत
अन्मोझा वन-प्रभाग

Handwritten signature
प्रभागीय अनाधिकारी,
प्रमोझा वन प्रभाग, अन्मोझा

Handwritten signature
वहसीलदार
रानीखेत (रतपखण्ड)

Handwritten signature
मंसुखन मजिस्ट्रेट
रानीखेत

Handwritten signature
मंसुखन मजिस्ट्रेट
रानीखेत

Handwritten signature
बिला अधिकारी
अन्मोझा

Handwritten signature
अधीक्षक
अन्मोझा

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- ताड़ीखेत मजूरखान मोटर रोड से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देवसिंह कुवारी के गांव कमेडीवा तक मोटर सड़क का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - पपने कोठार
तहसील - रानीखेत, जिला - अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद - सलेखेत के अन्तर्गत इसरोखेत परियोजना के निर्माण हेतु (X हे० आरक्षित वन भूमि, ०.३३७५ हे० सिविल सोयम भूमि ०.५०५ हे० वन पंचायत भूमि हे०) अर्थात् कुल ०.७४२५ हे० वन भूमि का लाठि निमाज विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पपने कोठार द्वारा दिनांक २५.०९.१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पपने कोठार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

पपने कोठार
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह०/- कोठार
ग्राम प्रधान लमोड़ा
जिला अल्मोड़ा

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 25-9-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पपने कोठर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्याम सिंह चेल्लुग	
2-	1-6-1 सिंह चेल्लुग	
3-	मेलाय चेल्लुग	
4-	सुभा सिंह चेल्लुग	
5-	सुभा सिंह चेल्लुग	
6-	शक्ति सिंह चेल्लुग	
7-	श्याम सिंह चेल्लुग	
8-	श्याम सिंह चेल्लुग	
9-	हेमंत सिंह चेल्लुग	
10-	सुभा सिंह चेल्लुग	
11-	सुभा सिंह चेल्लुग	
12-	श्याम सिंह चेल्लुग	
13-	श्याम सिंह चेल्लुग	
14-	श्याम सिंह चेल्लुग	

पपने देवी
ग्राम प्रधान
80/-
ग्राम प्रधान
वि.सं. 2015-16 (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत (ता. अल्मोड़ा)
दि. 25-9-15

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी स्व. श्री राजीव मोहर मारग से
 भागा का नव निर्माण। स्व. श्री राजीव मोहर मारग के गांव-कमड़ीना तक मोहर

कार्यालय उप जिलाधिकारी, राजीव

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, राजीव

उपखण्ड राजीव परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त मोहर मारग
 निर्धारित क्षेत्र (2 हे० आरक्षित वन भूमि, 3375 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.425 हे०
 वन, पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.7425 हे० वन भूमि) का
 लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील राजीव) की दिनांक 04-01-2016 को
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनीत कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 1- | श्री <u>विनीत कुमार</u> | उपजिलाधिकारी | <u>राजीव</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>वी.के. सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>राजीव</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>पी.सी. पट्ट</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>राजीव</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>अ.सी. सिंह</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>पपड़ कीकट</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

राजीव - कीकट - मंजूरवान से स्व. देव सिंह क्वार्टी के
गांव कमड़ीना तक मोहर मार्ग
 भूमि लोक निर्माण विभाग परियोजना हेतु 0.7425 हे० वन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी राजीव द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जांचकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड राजौरा परिक्षेत्र के अन्तर्गत
हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

संयुक्त राजौरा
उप जिलाधिकारी / अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- राजौरा
जनपद- अजमेर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, राजौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

By

संयुक्त राजौरा
उप जिलाधिकारी / अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- राजौरा
जनपद- अजमेर

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- ताडिखेत-अजूरखान-भोहर गार्ड के स्वतंत्र
सग्राम सेवानी के स्वतंत्र वेवासी कुवावा के गाँव कमेटी
लोक भोहर गार्ड का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद शुल्होरा के अन्तर्गत प्रस्तावित उपरोक्त भोहर गार्ड

परियोजना के निर्माण हेतु 0.7425 हे० वन भूमि ल.प.वि. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को
प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा
रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व
पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से
मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर
आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय
(Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

खिला समाज कल्याण अधिकारी
शुल्होरा

जिलाधिकारी

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :

Dated: 15-01-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 0.7425 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of the Taohikhet-Manjulkhan Motor Road to Ramechhen village of late. Dev. Singh Kuvambi. (Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Leli village(s) in Ranikhet Tehsils.

It is further Certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.7425 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above


D.M. 

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा
Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Ramarks
(a)	The complete process for identification settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0:7425het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) fo the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers There is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.

Encl : As above


Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

निम्न अधिकारी
रामदा

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bousol, I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date...15-1-2016.....at time...3:20 PM at Almora in which application claiming rights of.....area measuring 0.74.25 hect. for the Construction of Moter Road from tadwikedh kame forest chhena land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date : 15-01-2016



Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

मिलाधिकारी
अल्मोडा